

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा**

क्रमांक: भूमि अवाप्ति/प्रतिकर/प्र0सं0/01/2020

दिनांक 26 फरवरी, 2020

:: अवाई ::

**अवाई अन्तर्गत धारा 3 G राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं
Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to Acquisition Under NH Act,
1956**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छ: लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति
राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक
08/08/2019 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 08/09/2019 को
किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 06/12/2019 को
प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 28/12/2019 को किया गया। सूचना
प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त
होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है।

अवाप्ताधीन भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु विहित अधिनियम की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित
अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षी के खाते में अंकित ग्राम बैरा तह0 बनेडा की
आराजी नं0 1971/2 में से 0.0127 हेक्टर भू-भाग अवाप्त किया गया है।

तहसीलदार बनेडा से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई
तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बैरा तह0 बनेडा की आराजी नं0 1971/2, किस्म बारानी I, रकबा 0.
06 बीघा विपक्षी के स्वामित्व की होकर इस आराजी में से 0.0127 हेक्टर अर्थात 127 वर्ग मीटर भूमि राष्ट्रीय
राजमार्ग निर्माण/चौड़ाकरण में अवाप्ताधीन है। अवाप्ताधीन भूमि की DLC दर उप पंजीयक बनेडा से प्राप्त की
गयीं।

अतः तहसीलदार बनेडा से प्राप्त मौका सत्यापन रिपोर्ट एवं जमाबन्दी की प्रति को आधार स्तम्भ
लिया जाकर ग्राम बैरा तह0 बनेडा की आराजी नम्बर 1971/2 में से 0.0127 हेक्टर अर्थात 127 वर्ग मीटर भूमि
का प्रतिकर निर्धारण विपक्षी के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व ग्राम बैरा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा की अवाप्ताधीन आराजी नम्बर 1971/2 में
से 0.0127 हेक्टर अर्थात 127 वर्ग मीटर भूमि के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा
3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारित किया
जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

हितबद्ध व्यक्ति /खातेदार का नाम	अवाप्त भूमि का विवरण			दिनांक 22.08.19 को DLC दर (प्रति बीघा)	PWD के अनुसार ग्राम बैरा की शहरी सीमा से दूरी	कृषि भूमि /आबादी भू-खण्ड तथा निर्माण निर्माण स्थायी संरचना का मूल्य				सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं0 10 अंकित राशि का	दिनांक 08.09.19 से 26.02.2020 तक कुल 171 दिवस का ब्याज (12%से)	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं0 (10+11+ 12)
	आ0 नं0	रकबा (हेक्टर)	किस्म			प्रतिकर राशि	निर्धारित फेक्टर दूरी 10-20 किमी पर देय कारक 1.50 गुणा दर से राशि	स्थायी संरचना का मूल्य	योग (8+9)			
श्रीमती देउ पत्नी मिठूलाल गुर्जर निवासी बैरा तह0 बनेडा	1971 /2	0.0127 हेक्टर अर्थात 127 वर्ग मीटर	बारानी I	17,61,408- अर्थात 696.40 प्रति वर्ग मीटर	18.30 किमी	88,442-	1,32,663-	Nil	1,32,663-	1,32,663-	4,972-	2,70,298-

क्र0सं0	विवरण	राशि
1	कुल प्रतिकर राशि	2,70,298-
2	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर (TDS) कटौती	Nil
		2,70,298-

परियोजना निदेशक अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा करवा सुनिश्चित करे। विलम्ब के लिए परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करे तथा अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे एवं भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

(राकेश कुमार)

अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)

एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)

अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
भीलवाड़ा
एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति),
भीलवाड़ा

प्रतिनिधि - पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा को पालनार्थ भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराई जावे। हितबद्ध से भुगतान पत्रादि तैयार करवा पटवारी/तहसीलदार के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत कराएं जावें। समय पर बजट/लिमिट जारी नहीं होने एवं भुगतान पत्रादि प्राप्त होने की स्थिति में उपलब्ध बजट में से भुगतान कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

2. तहसीलदार, बनेड़ा

को भेजकर लेख हैं कि हितबद्धधारी से सम्पर्क कर अवाई अनुसार प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु प्रदत्त निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्राप्त पत्रादि तैयार करवा अविलम्ब प्रस्तुत किए जावे। हितबद्ध व्यक्ति/खातेदारान् से इस आशय का इकरार नामा/अण्डर टेकिंग प्राप्त किया जावे कि यदि किसी कारणवश मुआवजा राशि गलत भुगतान होने या अधिक भुगतान होने पर वह ऐसी राशि अविलम्ब इस न्यायालय में जमा करायेगा। ऐसा नहीं करने पर उक्त राशि उसकी चल-अचल सम्पत्ति में से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत वसूल की जा सकेगी। हितबद्ध व्यक्ति/खातेदारान् से भूमि/भू-खण्ड तथा उस पर निर्मित निर्माण/कुआ/टयूबवेल/अन्य संरचनाओं का कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सिपुर्द किया जावे। अवाप्त भूमि का नामान्तरकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम पर इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद कर जमाबन्दी की एक प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जावे तथा एक प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक को भिजवाई जावे।

3. हितबद्ध व्यक्ति/खातेदारान् श्रीमती देउ पत्नी मिठूलाल गुर्जर निवासी बैरा तह० बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि अवाप्त भूमि के प्रतिकर भुगतान प्राप्त हेतु संलग्न भुगतान प्रपत्र की पूर्ति करा आवश्यक दस्तावेजों के साथ पत्रादि पटवारी/तहसील के माध्यम से तत्काल प्रस्तुत करावें।

अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)

एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)

अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)

एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति),
भीलवाड़ा